मध्य प्रदेश शासन
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

क्रमांक एफ 10-6/2019/तैंतीस भोपाल, दिनांक 15 /02/2021

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं परिषद (DATC) में 'संस्कृति' शब्द जोडते हुए 'जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (DATCC) किए जाने बावत।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी परिपत्र क्रमांक एफ 10-06/2019/तैंतीस दिनांक 30/07/2019.

--0--

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-5/2016/तैतीस दिनांक 30/09/2016 द्वारा प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन परिषदों का गठन किया गया।

सचिव, पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, एवं प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी संदर्भित परिपत्र क्रमांक एफ 10-06/2019/तैंतीस दिनांक 30/07/2019 द्वारा पूर्व में कार्यरत जिला पर्यटन संवर्धन परिषद एवं जिला पुरातत्व संघ के समस्त पहलुओं को शामिल करते हुए उनके स्थान पर राज्य शासन द्वारा जिला स्तर पर नवीन संगठन का पुनर्गठन 'जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद (District Archaeology & Tourism Council, DATC) के रूप में किया गया हैं।

प्रदेश के जिलों में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विरासत विद्यमान हैं और स्थानीय प्रशासन/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर पारम्परिक आयोजन, मेला, उत्सव इत्यादि आयोजित किए जाते हैं। पर्यटन एवं संस्कृति आदि विभागों के समन्वय से उक्त सभी आयोजन सफलतापूर्वक संपादित किए जाते हैं।

संस्कृति पर्यटन का अभिन्न अंग है, अतः सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी परिपत्र क्रमांक एफ 10-06/2019/33 दिनांक 30/07/2019 में 'संस्कृति' शब्द जोडते हुए वर्तमान में गठित/कार्यरत जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद (District Archaeology & Tourism Council, DATC) को 'जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (District Archaeology, Tourism and Culture Council, DATCC) किया जाता है।

1. पुर्नगठित 'जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (DATCC) जिले में सांस्कृतिक गतिविधियों के समन्वय एवं क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगी।
2. पुर्नगठित 'जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (DATCC) की कार्यकारिणी समिति में जिला स्तर पर स्थित पुरातत्व विभाग के साथ-साथ संस्कृति विभाग के अधिकारियों को भी सदस्य मनोनीत किया जावे।
3. जिला स्तर पर पुर्नगठित 'जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (DATCC) के अन्य समस्त निर्देश परिपत्र क्रमांक एफ 10-06/2019/33 दिनांक 30/07/2019 अनुसार ही होंगे।
4. संस्कृति विभाग के संबंधित जिले में आयोजित होने वाले समस्त आयोजनों के व्यय हेतु आवंटन संचालनालय संस्कृति विभाग द्वारा संबंधित जिले की 'जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (DATCC) को जारी किए जावेंगे, जिसका व्यय संस्कृति विभाग की अनुशंसा एवं दिशा निर्देशों अनुसार संबंधित जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (DATCC) द्वारा किया जावेगा।
5. समस्त जिलों में फर्म एवं सोसायटी एक्ट में पंजीबद्ध 'जिला पर्यटन संवर्धन परिषदों' को विहित कार्यवाही कर नवीन नाम 'जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (DATCC) के रूप में नामान्तरण कराया जाए।
6. इसी प्रकार सभी जिलों में गठित जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद के बैंक खातों में सुधार कर बैंक खाता 'जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (DATCC) अंकित कराया जाए।
7. पुर्नगठित 'जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (District Archaeology, Tourism and Culture Council, (DATCC)) हेतु पर्यटन विभाग ही पूर्वानुसार नोडल विभाग रहेगा।

(शिव शेखर शुक्ला)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग

क्रमांक एफ 10-6/2021/तैंतीस

भोपाल, दिनांक 15/02/2021

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, के समस्त विभाग।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, पर्यटन/संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
4. माननीय मंत्री जी, पर्यटन/संस्कृति/पुरातत्व विभाग के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. जिलों के प्रभारी माननीय मंत्री जी के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश।
6. मुख्य सचिव, के स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
7. आयुक्त, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, म.प्र.भोपाल।/ संचालक उज्जैन
8. आयुक्त, पर्यटन कार्यालय, भोपाल।
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल।
10. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल।

प्रमुख सचिव 12/2/2021

मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग